15/7/23

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी दोनों अनु०। न्यायालय समय में एक-एक बार तीन घण्टा आवाज पुकारवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। इनके पत्रा० का अवलोकन किया। तलबी पेश करने हेतु वकील वादी को पर्याप्त अवसर पेश करने के बावजूद तलबी नोटिस पेश नहीं किये गये। न्यायालय वाद को अन्तरिम आदेश-9 नियम 3 व 5 में खारिज करना उचित समझता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
आलनिया